मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 9813/22/वि–7/एन.आर.ई.जी./2007 भोपाल, दि. 25/06/2007

प्रति,

1. **जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
   एवं कलेक्टर
   राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
2. **अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं**
   मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
3. **कार्यक्रम अधिकारी (जनपद पंचायत)**
   राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
   जिला – श्योपुर, छतरपुर, मंडला, शहडोल, बालाघाट, शिवपुरी, बैतूल, खरगोन, सिवनी, डिण्डोरी, टीकमगढ़, खण्डवा, धार, झाबुआ, बड़वानी, सतना, सीधी, उमरिया, गुना अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर, हरदा, छिन्दवाड़ा, देवास, दतिया, रीवा, पन्ना, दमोह, राजगढ़ एवं कटनी (म.प्र.)

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश के अंतर्गत शामिल जिलों में ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के अंतर्गत केला एवं पपीता के फलोद्यान विकास के संबंध में।

संदर्भ : विभाग का आदेश क्र.6673/22/वि–7/एन.आर.ई.जी./2007 भोपाल दिनांक 20.04.2007

1. **<u>पृष्ठ भूमि</u> :–**

विभाग के उक्त संदर्भित आदेश द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना– मध्यप्रदेश के अंतर्गत नंदन फलोद्यान उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा निर्देशों में चयनित हितग्राहियों की भूमि पर आंवला, ईमली, नीबू, संतरा, मौसंबी, अमरूद, बेर, सीताफल, आम, चीकू एवं कटहल के फलोद्यान विकास का प्रावधान किया गया है। इसी तारतम्य में ''नन्दन फलोद्यान'' उपयोजना के अंतर्गत केला एवं पपीता के फलोद्यान हितग्राहियों की सहमति के अनुसार विकसित किये जा सकते हैं। तत्संबंध में यह दिशा निर्देश संदर्भ में उल्लेखित आदेश के पूरक आदेश के रूप में जारी किये जा रहे हैं।

2. **<u>अनुशंसित जिले</u> :–**

उद्यानिकी विभाग द्वारा केला एवं पपीता के फलोद्यान विकास हेतु जिन जिलों की अनुशंसा की गई है, उनका उल्लेख अनुलग्नक–1 में किया गया है। अतः इन जिलों में ही केला एवं पपीता के फलोद्यान विकास का कार्य लिया जाये।

3. **केला एवं पपीता के साथ अंतवर्तीय फसलें :–**

केला एवं पपीता के साथ अनुलग्नक–2 में दर्शाये गए अनुसार अंतवर्तीय फसलें भी ली जा सकती हैं।

4. **केला एवं पपीता के फलोद्यान विकास के संबंध में तकनीकी बिन्दु :–**

केला एवं पपीता के फलोद्यान विकास के लिए भूमि की उपयुक्तता, लगाई जा सकने वाली किस्में, उपयुक्त जलवायु, रोपण हेतु उपयुक्त समय इत्यादि का विवरण अनुलग्नक 3 (ए) एवं 3 (बी) में दिया गया है।

5. **केला एवं पपीता के फलोद्यान विकास हेतु इकाई लागत :–**

केला एवं पपीता के फलोद्यान विकास हेतु इकाई लागत के संबंध में सांकेतिक प्राक्कलन अनुलग्नक–4 (ए) एवं 4 (बी) में दिये गए है। इन प्राक्कलनों में स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर आवश्यक परिर्वतन कर केला एवं पपीता के फलोद्यान विकास हेतु हितग्राहीवार प्राक्कलन तैयार किये जा सकते है।

6. **आयोजना व क्रियान्वयन संबंधी अन्य प्रावधान :–**

नन्दन फलोद्यांन के अन्तर्गत केला एवं पपीता के फलोद्यान विकास हेतु आयोजना व क्रियान्वयन संबंधी अन्य प्रावधान नामतः पात्र हितग्राही, पात्र हितग्राहियों से प्रस्ताव प्राप्त करना, हितग्राहियों का चयन व गतिविधि का स्वरूप निर्धारण, आयोजना के विभिन्न घटकों का निर्धारण व आकलनं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अनुमोदन व स्वीकृतियां, क्रियान्वयन व गुणवत्ता, क्रियान्वयन एजेंसी, वृक्षारोपण हेतु पौध की व्यवस्था, रोपण हेतु आवश्यक तैयारियां व पौध रोपण, मॉनिटरिंग व रिपोर्टिंग आदि संदर्भ में उल्लेखित आदेश के अनुसार यथावत रहेंगे।

उक्त के अनुक्रम में नन्दन फलोद्यान उपयोजना के अन्तर्गत केला एवं पपीता के फलोद्यान विकास की आयोजना तथा क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रारंभ की जाये।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
एवं विकास आयुक्त
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. 9814 / 22 / वि–7 / एन.आर.ई.जी. / 2007 भोपाल, दि.25 / 06 / 2007

प्रतिलिपि :–

1. सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. आयुक्त उद्यानिकी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. संभागीय आयुक्त, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, चम्बल, जबलपुर, सागर, उज्जैन एवं रीवा।
4. परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार योजना जिला पंचायत श्योपुर, छतरपुर, मंडला, शहडोल, बालाघाट, शिवपुरी, बैतूल, खरगोन, सिवनी, डिण्डोरी, टीकमगढ़, खण्डवा, धार, झाबुआ, बड़वानी, सतना, सीधी, उमरिया, गुना अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर, हरदा, छिन्दवाड़ा, देवास, दतिया, रीवा, पन्ना, दमोह, राजगढ़ एवं कटनी (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
एवं विकास आयुक्त
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(उद्यनिकी विभाग द्वारा अनुसंशित जिले)

क्रमांक	उद्यानिकी फसलें	अनुसंशित जिले
1	पपीता	कटनी, बालाघाट, छतरपुर, रीवा, सतना, धार, खरगोन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर, शिवपुरी, श्योपुर, हरदा।
2	केला	बड़वानी, बैतूल, बुरहानपुर, धार,, खण्डवा, खरगौन, बालाघाट, डिण्डोरी, देवास, हरदा।

अनुलग्नक – 2

उद्यानिकी पौध रोपण के साथ ली जा जा सकने वाली अंतरवर्तीय फसलें

क्रमांक	उद्यानिकी फसलें	अन्तरवर्तीय फसलें
1	पपीता	• सब्जियॉ (मिर्च ,पत्तागोभी ,मूली, गांठगोभी ,टमाटर, प्याज)
2	केला	• सब्जियॉ (बैंगन, हल्दी, मिर्च, भिण्डी, मूली ,फूलगोभी, पत्तागोभी,) • सनई (हरी खाद के रूप में)

अनुलग्नक – 3(a)

पपीता के पौधरोपण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

1. भूमि : अच्छे जल निकास युक्त वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। चूंकि पौधों की जड़े अधिक गहराई तक नही जाती इसलिए उथली भूमि पर भी इसे लगाया जा सकता है।

2. किस्में : बडवानी लाल एवं पीला, हनीड्यू, सिलोन, पूसा डिलीसियस, राँची, कोयम्बटूर–2,3,5,6, पूसा जायंट, पूसा नन्हा, रेड लेडी (ताईवान)

3. जलवायु : गर्म जलवायु उपयुक्त होती है सफल उत्पादन के लिए तापमान 40 डिग्री सेन्टीग्रेट चाहिए।

4. इन्टर कल्चर : पपीते में नर मादा एवं उभयलिंगी तीनों प्रकार के पुष्प पाये जाते है और फल केवल मादा एवं उभयलिंग पुष्पों में लगते हैं अतः पौधरोपण के चार माह पश्चात फूलों के द्वारा नर पौधों की पहचान कर उन्हें उखाड़ देने चाहिए। संकर पौधा (Hybird) उभय लिंगी होता है। अतः इनमें नर पौधों की समस्या नहीं आती है। अतः संकर पौधों के रोपण को प्राथमिकता दी जाये।

5. नर पुष्पिय पौधेः संकर किस्म न लगाने पर अन्य किस्म में कुल पौधों की संख्या में न्यूनतम 5 प्रतिशत नर पुष्पिय पौधे रहना आवश्यक है, इससे परागण की क्रिया समुचित रूप से हो जाती है।

6. पौधरोपण : पौधरोपण हेतु उपयुक्त समय जुलाई–अगस्त है। किन्तु पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर पौधे फरवरी से मार्च तक भी लगाये जा सकते हैं। अच्छे परिणाम **सितम्बर एवं फरवरी माह** में पौधरोपण करने पर मिलते हैं।

8. उर्वरक अनुप्रयोगः फास्फोरस एवं पोटास उर्वरक की सम्पूर्ण मात्रा एवं नत्रजन की आधी मात्रा गड्डा भराई के समय बेसल डोज के रूप में एवं शेष मात्रा स्प्लिट डोज के रूप में 2 से 3 बार में दें।

9. सिंचाई : शाकीय पौधा होने के कारण सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। ग्रीष्म ऋतु में प्रति सप्ताह एवं शरद ऋतु में प्रति पखवाड़ा सिंचाई करना आवश्यक है। सिंचाई करते समय तेज बहाव से पौधों की जड़ों को सुरक्षित रखें।

10. जल निकास : भूमि में पौधे के पास जल इक्ट्ठा होने से तना गलन का रोग हो जाता है अतः आवश्यक है कि जल निकास हेतु पर्याप्त व्यवस्था करें।

अनुलग्नक – 3(b)

केला के पौधरोपण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

1. भूमि : अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ वलुई दोमट अथवा मटीयार मिट्टी सबसे उपयुक्त है।

2. किस्में : भुसावल (बसराई डवार्फ) रोबस्टा, चम्पा (मैसूर), रसथैली, हरी छाल, लैक्टीन।

3. जलवायु : केला उष्ण जलवायु का पौधा है तथा गर्म एवं आर्द्र जलवायु में भरपूर उत्पादन देता है उपयुक्त तापक्रम 40^{0}c है। सम तापक्रम वाले क्षेत्र जहां पर वायु में पर्याप्त आर्द्रता रहती है, अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। नदी, झील, तालाब आदि जलाशयों के आस–पास केला अच्छी उपज देता है।

4. पौधरोपण (सकर/प्रकन्द) : पौधरोपण का उचित समय वर्षा ऋतु में आरम्भ या अन्त में तथा फरवरी और मार्च में होता है। अच्छे परिणाम **सितम्बर एवं फरवरी माह** में पौधरोपण करने पर मिलते हैं।

5. इन्टर कल्चर : पौधे में मिट्टी चढाना आवश्यक होता है क्योंकि इसकी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती है कभी–कभी कन्द भूमि के बाहर आ जाते हैं, जिससे कि उनकी वृद्धि रूक जाती है। अतः दो या तीन बार मिट्टी चाढ़ाना आवश्यक होता है। साथ ही पौधें के समीप छोटी–छोटी कन्द से लगी हुई शाखाएँ निकल आती हैं, जिन्हें सकर कहते हैं। ये पौधे की उचित वृद्धि में बाधक होती हैं। अतः इनकों निकाल देना चाहिए।

6. सिंचाई : भूमि तथा वातावरण के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में प्रति सप्ताह एवं शरद ऋतु में 15–20 दिन के अन्तर से सिंचाई करना आवश्यक है।

7. रैटूनिंग : फल लगने के समय कन्द से अनेक सकर निकलते हैं इनमें से एक स्वस्थ सकर को छोडकर शेष को काट देना चाहिए।

8. सहारा : फले हुऐ पौधों को तेज हवांओं से बचाव करना अत्यंन्त आवश्यक है। पौधों को बांस की बल्ली या खूटे का सहारा दें एवं स्थायी वायु अवरोधक हेतु सिसबेनिया के बीजों की बोआई करें। यदि सुरक्षा हेतु सी.पी.टी. का निर्माण किया गया है उस स्थिति में उत्तर एवं पश्चिम दिशा की ओर बने सी.पी.टी. पर बीज बोये। 8 माह पश्चात सिसबेनिया के पौधों से प्राप्त खूंटों का उपयोग पौधों को सहारा देने के लिये भी किया जा सकता है।

9. पौध सुरक्षा : पौध सुरक्षा हेतु थिमेट/थायरम दवा का उपयोग चार बार 6 माह के अन्तराल पर करें। नीम आधारित पीड़क नाशक को बड़ावा दें।

पपीता
पौध रोपण की इकाई लागत प्रति हेक्टर (2500 पौधे)

पौधों से पौधों की दूरी – **2 मीटर**
कतार से कतार की दूरी – **2 मीटर**

क्र.	कार्य का विवरण	दर (रुपये में)	मात्रा / संख्या	लागत (रूपये में)		योग (रूपये में)	विशेष
				मजदूरी	सामग्री		
A	**रोपण वर्ष (प्रथम वर्ष)**						
1	भूमि विकास	500 प्रति एकड़	2.5 एकड़	1250	0	1250	
	झाड़ी सफाई, खेत का रेखांकन करना						
2	फेसिंग						
	सी. पी. टी. की खुदाई से	34 प्रति रनिंग मीटर	400 रनिंग मीटर	13600	0	13600	
3	गड्डा खुदाई .50X. 50X. 50 मीटर	14 प्रति गढ्ढा	2500 गढ्डे	35000	0	35000	
4	खाद एवं उर्वरक					0	
I	गोबर खाद – 20 किलो प्रति पौधा	0.50 प्रति किलो	50000 किलो	0	**25000**	**25000**	हितग्राही द्वारा
II	सुपर फास्फेट – 500 ग्राम ––"––	3.40 प्रति किलो	1250 किलो	0	4250	4250	
III	म्यूरेट ऑफ पोटाश – 250 ग्राम ––"––	5.00 प्रति किलो	625 किलो	0	8125	8125	
IV	यूरिया – 1/2 किलोग्राम ––"––	5.00 प्रति किलो	1250 किलो	0	6250	6250	
V	थीमेट /फोरेट दवा – 50 ग्राम ––"––	100 प्रति किलो	125 किलो	0	12500	12500	
	योग :–			**0**	**31125**	**31125**	
5	पौधों की कीमत (संकर)	10 प्रति पौधा	2500 पौधे	0	27500	27500	10% गेप फिलिंग
6	खाद, उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना,	10.00 प्रति पौधा	2500 पौधे	25000	0	25000	
	गढ्ढा भराई तथा पौध रोपण करना				0	0	
7	पौध संरक्षण दवाएं	10.00 प्रति पौधा	2500 पौधे	0	25000	25000	
8	सिंचाई व्यवस्था					0	
	सिंचाई हेतु मजदूरी	2010 प्रति माह	10 माह हेतु	20100	0	20100	
	योग :–			**20100**	**0**	**20100**	
9	**निंदाई गुड़ाई , दवा का स्प्रे करना**	**5.00 प्रति पौधा**	**3 बार**	37500	0	37500	
	मिट्टी चढाना, थाला बनाना एवं गर्मी में पौधों में छाया करना	5 X 3 =15/-					
10	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**						
I	स्पेयर पम्प	1000 प्रति पम्प	1 नग		1000	1000	
II	गैती	100 प्रति नग	1 नग		100	100	
III	फावड़ा	100 प्रति नग	1 नग		100	100	
IV	तगाड़ी	80 प्रति नग	2 नग		160	160	
V	बाल्टी	120 प्रति नग	1 नग		120	120	
VI	सिकेटियर	200 प्रति नग	1 नग		200	200	
	योग :–	–	–	**0**	**1680**	**1680**	
11	अन्य व्यय	–	–	**3000**	**1000**	**4000**	
	योग :– (प्रथम वर्ष)						
	कुल व्यय (C.P.T. फेसिंग के बिना)			**117770**	**86305**	**204075**	
	कुल व्यय (C.P.T. फेसिंग के साथ)			**131370**		**217675**	
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात	सी.पी.टी. फेंसिंग के बिना –		58.00%	42.00%		
		C.P.T. फेंसिंग के साथ		60.00%	40.00%		

क्र.	कार्य का विवरण	दर (रुपये में)	मात्रा / संख्या	लागत (रूपये में)	योग	विशेष

				मजदूरी	सामग्री	(रूपये में)	
B	**द्वितीय वर्ष रखरखाव पर व्यय**						
12	10 % गेप फीलिंग पौधों की कीमत	10 प्रति पौधे	250 पौधे	0	2500	2500	
13	निदाई, गुड़ाई एवं सिंचाई कार्य	67 प्रति दिन	200 मानव दिवस	13400	0	13400	
	योग :–			**13400**	**2500**	**15900**	
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात	–	–	84.3%	15.7%		
	कुल व्यय (C.P.T. फेसिंग के बिना)			**131170**	**88805**	**219975**	
	कुल व्यय (C.P.T. फेसिंग के साथ)			**144770**	**88805**	**233575**	
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात	सी.पी.टी. फेंसिंग के बिना	–	60.00%	40.00%		
		C.P.T.फेंसिंगके साथ		**62.00%**	**38.00%**		

नोटः–सिंचाई के स्थाई स्त्रोत की व्यवस्था
अन्य योजना से की जावेगी।

उप संचालक
संचालनालय उद्यान एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

अनुलग्नक – 4(b)

केला

पौध रोपण की इकाई लागत प्रति हेक्टर (न्यूनतम 3000 पौधे)

पौधों से पौधों की दूरी – **5 फीट**

कतार से कतार की दूरी – **5 फीट**

क्र.	कार्य का विवरण	दर (रुपये में)	मात्रा / संख्या	लागत (रूपये में)		योग (रूपये में)	विशेष
				मजदूरी	सामग्री		
A	**रोपण वर्ष (प्रथम वर्ष)**						
1	भूमि विकास	500 प्रति एकड़	2.5 एकड़	1250	0	1250	
	झाड़ी सफाई, खेत का रेखांकन करना					0	
2	फेसिंग					0	
	सी. पी. टी. की खुदाई से	34 प्रति रनिंग मीटर	400 रनिंग मीटर	13600	0	13600	
3	गड्डा खुदाई .50X. 50X. 50 मीटर	14 प्रति गढ्ढा	3000 गढ्डे	42000	0	42000	
4	खाद एवं उर्वरक					0	
I	गोबर खाद – 20 किलो प्रति पौधा	0.50 प्रति किलो	60000 किलो	0	**30000**	**30000**	**हितग्राही द्वारा**
II	सुपर फास्फेट – 500 ग्राम ––"––	3.40 प्रति किलो	1500 किलो	0	5100	5100	
III	म्यूरेट ऑफ पोटाश – 250 ग्राम ––"––	5.00 प्रति किलो	750 किलो	0	9750	9750	
IV	यूरिया – 1/2 किलोग्राम ––"––	5.00 प्रति किलो	1500 किलो	0	7500	7500	
V	थीमेट /फोरेट दवा – 50 ग्राम ––"––	100 प्रति किलो	150 किलो	0	15000	15000	
	योग :–			**0**	**37350**	**37350**	
5	पौधों की कीमत	16 प्रति पौधा	3000 पौधे	0	52800	52800	10% गेप फिलिंग
6	खाद, उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना,	10.00 प्रति पौधा	3000 पौधे	30000	0	30000	
	गढ्ढा भराई तथा पौध रोपण करना				0	0	
7	पौध संरक्षण दवाएं	10.00 प्रति पौधा	3000 पौधे	0	30000	30000	
8	सिंचाई व्यवस्था					0	
	सिंचाई हेतु मजदूरी	2010 प्रति माह	10 माह हेतु	20100	0	20100	
	योग :–			**20100**	**0**	**20100**	
9	**निंदाई गुड़ाई , दवा का स्प्रे करना**	**8.00 प्रति पौधा**	**3 बार**	72000	0	72000	
	थाला बनाना एवं गर्मी में पौधों को सहारा देना (बांस के द्वारा)	8X 3 = 24/-					
10	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**						
I	स्पेयर पम्प	1000 प्रति पम्प	1 नग		1000	1000	
II	गैती	100 प्रति नग	1 नग		100	100	
III	फावड़ा	100 प्रति नग	1 नग		100	100	
IV	तगाड़ी	80 प्रति नग	2 नग		160	160	
V	बाल्टी	120 प्रति नग	1 नग		120	120	
VI	सिकेटियर	200 प्रति नग	1 नग		200	200	
	योग :–	–	–	**0**	**1680**	**1680**	
11	अन्य व्यय	–	–	**4000**	**1000**	**5000**	
	योग :– (प्रथम वर्ष)						
	कुल व्यय			**169350**	**122830**	**292180**	
	कुल व्यय (C.P.T. फेसिंग के साथ)			**182950**		**305780**	
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात		–	58.00%	42.00%		
	C.P.T. फेंसिंग			60.00%	40.00%		

क्र.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा / संख्या	लागत (रूपये में)		योग (रूपये में)	विशेष
				मजदूरी	सामग्री		
B	**द्वितीय वर्ष रखरखाव पर व्यय**						
12	निदाई, गुड़ाई एवं सिंचाई कार्य	67 प्रति दिन	200 मानव दिवस	13400	0	13400	
	योग :–			**13400**	**0**	**13400**	
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात	–	–	100%			
	कुल व्यय (C.P.T. फेसिंग के बिना)			**182750**	**122830**	**305580**	
	कुल व्यय (C.P.T. फेसिंग के साथ)			**198350**	**122830**	**319180**	
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात	सी.पी.टी. फेंसिंग के बिना	–	60.00%	40.00%		
		C.P.T. फेंसिंग		62.00%	38.00%		

नोटः–सिंचाई के स्थाई स्त्रोत की व्यवस्था अन्य योजना से की जावेगी।

उप संचालक
संचालनालय उद्यान एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश के अंतर्गत नंदन फलोद्यान उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन के संबंध में जारी पूर्व दिशा निर्देश में चयनित हितग्राहियों की भूमि पर आंवला, ईमली, नीबू, संतरा, मौसंबी, अमरूद, बेर, सीताफल, आम, चीकू एवं कटहल के फलोद्यान विकास का प्रावधान किया गया है।

अपर मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में ''नन्दन फलोद्यान'' उपयोजना के अंतर्गत केला एवं पपीता के फलोद्यान विकास संबंधी निर्देश भी जिलों को जारी किये जाने हैं। तत्संबध मं उद्यानिकी विभाग के साथ किये गये विचार विमर्श के आधार पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का प्रारूप पताका – अ पर है। कृपया सादर अनुमोदन व हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है।

(विवेक दवे)
उपायुक्त

सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश के अंतर्गत शामिल जिलों में ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के अंतर्गत केला एवं पपीता के फलोद्यान विकास के संबंध में।